

प्रेषक,

महानिदेशक,  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।

सेवा में:

समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका,  
जिला पुरुष/महिला एवं संयुक्त चिकित्सांतय,  
उत्तर प्रदेश।

पत्र सं०-नि०नि०ब०(कैम्प)/2018/ 552

लखनऊ : 26 जुलाई, 2018

विषय: ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना के द्वारा चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की जनहित गारण्टी से सम्बन्धित सेवाओं को आम जनमानस को ऑनलाइन उपलब्ध कराये जाने हेतु जनपदवार प्रशिक्षण कार्यक्रम में अनिवार्य सहभागिता के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत ही होंगे कि आम जनमानस को किफायती, पारदर्शी एवं सहज-सुलभ शीति से सेवायें उपलब्ध कराने हेतु लोक सेवा प्रबन्धन अनुभाग की अधिसूचना संख्या-698.91.2017, दिनांक 27.10.2017 द्वारा जनहित गारण्टी अधिनियम 2011 के अधीन चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा प्रदत्त 3 सेवायें चयनित हैं, जिनमें से निम्न 06 सेवाएँ जनपदों में स्थित मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय द्वारा मैन्युअल रूप में प्रदान की जा रही है।

1. क्लीनिकल/मेडिकल अधिष्ठानों का पंजीकरण
2. विकलांगता प्रमाण पत्र का निर्गमन
3. असफल परिवार नियोजन के क्लेम का मुगतान
4. उभ्र प्रमाण पत्र का निर्गमन
5. सरकारी कर्मचारियों हेतु चिकित्सा प्रतिपूर्ति शुल्क का निर्गमन

उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय के आदेशानुसार चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की समस्त 09 सेवाओं को ऑनलाइन कर ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इन्टीग्रेट कर दिया गया है, इस संबंध में प्रमुख सचिव महोदय उ०प्र० शासन द्वारा शासनादेश ( संख्या 957/सेक-2-पांच-18-7(50)/2018 दिनांक 28 जून 2018 ) द्वारा आदेश भी निर्गत किये जा चुके हैं।

अब नागरिक जनहित से संबंधित सेवाओं हेतु प्रदेश में स्थापित जन सेवा केन्द्रों/ लोकावाणी केन्द्रों/जनसुविधा केन्द्रों/ई-सुविधा केन्द्रों एवं स्वयं के माध्यम से नवीन विकसित पोर्टल से आवेदन कर सकते हैं।

इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि नवीन विकसित पोर्टल से आये आवेदनों को समस्त चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका कार्यालय से ऑनलाइन प्रोसेस किये जाने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 06.08.2018, 07.08.2018 एवं 08.08.2018 को जनपदवार दो पालियों में सभागार मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ में निम्न तालिका अनुसार आयोजित किया जायेगा-

प्रशिक्षण तिथि	मण्डल	जनपदों के नाम	शिफ्ट	समय
06/08/2018	गोरखपुर, वाराणसी, आजमगढ़	देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, आजमगढ़, बलियाँ, मऊ	प्रथम पाली	10:00 AM -1:30 PM
	इलाहाबाद, लखनऊ, मिर्जापुर	इलाहाबाद, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, हरदोई, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव, मिर्जापुर, संत रविदास नगर, सोनभद्र	द्वितीय पाली	02:30 PM -6:00 PM
07/08/2018	झांसी, कानपुर, चित्रकूट	जालौन, झांसी, ललितपुर, औररिया, इटावा, फररुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा	प्रथम पाली	10:00 AM -1:30 PM
	फैजाबाद, देवीपाटन, बरती	अम्बेडकर नगर, बाराबंकी, अमेठी, फैजाबाद, सुल्तानपुर, बहराइच, बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती, बरती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर	द्वितीय पाली	02:30 PM - 6:00 PM
08/08/2018	आगरा, अलीगढ़, मेरठ	आगरा, फिरोजाबाद, नैनपुरी, मथुरा, अलीगढ़, इटावा, हाथरस, कारागंज, बागपत, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ	प्रथम पाली	10-00 AM 01-30 PM
	मुरादाबाद, बरेली, सहारनपुर	अमरोहा, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, शाहजहांपुर, बरेली, पीलीभीत, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली	द्वितीय पाली	02:30 PM -6:00 PM
	18 मण्डल	75 जनपद		

अतः समस्त चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका निम्न प्रारूपानुसार अपने कार्यालय से उपर्युक्त 04 सेवाओं हेतु अधिकारी एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर को प्रशिक्षण हेतु नामित करते हुए अपने स्तर से संबंधित को प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु आदेश निर्गत करें।

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका जिला पुरुष/महिला एवं संयुक्त चिकित्सालय, जनपद ....., उत्तर प्रदेश			
क्र. सं.	जिला चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका कार्यालयों से प्रदान किये जाने वाली सेवाओं के नाम	अधिकारी का नाम, दूरभाष संख्या एवं ई-मेल आईडी	डाटा एंट्री ऑपरेटर का नाम, दूरभाष संख्या एवं ई-मेल आईडी
1	अस्पताल में मृत्यु होने पर मृत्यु प्रमाण-पत्र का निर्गमन		
2	सफल टीकाकरण प्रमाण-पत्र का निर्गमन		
3	मेडिको-लीगल (इन्जरी) प्रमाण पत्र का निर्गमन		
4	मेडिकल सर्टिफिकेट का निर्गमन		

समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा नामित अधिकारी, एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर अपने से सम्बन्धित सेवाओं की सम्पूर्ण जानकारी रखता हो एवं प्रशिक्षण स्थल पर समयानुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने हेतु मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका के आदेश के साथ उपस्थित हो।

नोट— 1. टी0ए0/डी0ए0 सम्बन्धित कार्यालय से आहरित होगा।

2. अपने कार्यालय से उपर्युक्त सेवाओं हेतु नामित नोडल अधिकारी एवं डाटा इन्ट्री आपरेटर की सूचना प्रशिक्षण से पूर्व निदेशक, नियोजन एवं बजट की मेल आई-डी- directorplanbudget@gmail.com पर अवश्य उपलब्ध करायें।

भवदीय

महानिदेशक,

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

पत्र सं०-नि0नि0ब0(कैम्प)/2018/

तददिनांक,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
3. समस्त मएडलीय अपद निदेशक एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
4. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ को उक्त तिथियों में प्रशिक्षण हेतु समागार उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।
5. राज्य समन्वयक, सेन्टर फॉर ई-गवर्नेन्स, लखनऊ, उ0प्र0।
6. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0एल0सी0, लखनऊ।
7. श्री अजय सिंह, प्रशिक्षण समन्वयक, यू0पी0एल0सी0, लखनऊ को प्रशिक्षण प्रदान करने के सम्बन्ध में।
8. गार्ड फाइल।

निदेशक,(नियोजन एवं बजट)